तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एलआर/4485/2045/सीकर नारायण के का.मु.अणचीदेवी व अन्य बनाम विश्वेश्वर व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05-12-18	**एकलपीठ** **श्री धूकलराम कसवां, सदस्य** **उपस्थित** श्री योगेन्द्र सिंह अभिभाषक प्रार्थी श्री हंगामी लाल अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2 **निर्णय** यह निगरानी अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जयपुर के निर्णय दिनांक 2–8–04 के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956(संक्षेप में अधिनियम) की धारा 84 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अप्रार्थी संख्या 1 ने दिनांक25–4–97 को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र हाल आराजी खसरा नम्बर 27 रकबा 1–07 हेक्टर का बेचान अप्रार्थी संख्या 2 को किया। जिसके आधार पर ग्राम पंचायत भीमा ने नामान्तरकरण संख्या 60 अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में स्वीकृत किया। जिसके विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी दातारामगढ के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक28–4–03 के द्वारा अपील खारिज कर दी। इससे व्यथित होकर अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जयपुर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत होने पर उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 2–8–04 के द्वारा अपील खारिज कर दी। इससे व्यथित होकर यह निगरानी मण्डल के समक्ष पेंश की गई है। उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एलआर/4485/2045/सीकर नारायण के का.मु.अणचीदेवी व अन्य बनाम विश्वेश्वर व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	निगरानी मीमो में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये बताया कि नामान्तरकरण संख्या 60 स्वीकृत किये जाने की दिनांक 7–5–97 को पक्षकारों के मध्य नियमित वाद सक्षम राजस्व न्यायालय में लम्बित था। वाद के विचाराधीन रहते हुये वादग्रस्त आराजी को हस्तान्तरण नहीं करने के आदेश के बाबजूद हस्तान्तरण कर दिया। जिसके आधार पर नामान्तरकरण स्वीकृत नहीं करना चाहिये था। ग्राम पंचायत का आदेश त्रुटिपूर्ण एवं विधि विरूद्ध है। अप्रार्थी संख्या 2 ने नामान्तरकरण स्वीकृत किये जाने हेतु जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। उस पर 45 दिन में आदेश पारित नहीं करते हुये ग्राम पंचायत ने प्रकरण को निर्णित नहीं किया। उक्त 45 दिन का समय निकलने के बाद या तो प्रकरण तहसीलदार के यहां भिजवा देना चाहिये था या तहसीलदार दाताराकगढ के यहां प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण निर्णित कराना चाहिये था। उनका तर्क है कि नामान्तरकरण में लिप्त भूमि पैतृक भूमि है जिसमें प्रार्थी, अप्रार्थी संख्या 1 के साथ 1/3हिस्सा जन्म से ही रखता है। अप्रार्थी संख्या 1 कुल आराजी में अपना 1/3 हिस्सा ही विक्रय कर सकता था। इसलिये आक्षेपित सभी आदेश निरस्त कर वाद के निर्णय तक नामान्तरकरण की कार्यवाही को स्थगित किये जाने के आदेश प्रदान किये जावें। अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि वादग्रस्त आराजी का पन्ना रेकार्डेड खातेदार था उसने उचित प्रतिफल प्राप्त कर पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 को विक्रय की है। प्रार्थी का यह आक्षेप गलत है कि नामान्तरकरण संख्या 60 अकेले सरपंच द्वारा तस्दीक किया गया है। सत्यता यह है कि नामान्तरकरण मजमे आम में ग्राम पंचायत के कौरम द्वारा तस्दीक किया गया है। बाद में कुछ सदस्यों द्वारा	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एलआर/4485/2045/सीकर नारायण के का.मु.अणचीदेवी व अन्य बनाम विश्वेश्वर व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

की गई लिखावट का कोई महत्व नहीं है। उनका तर्क है कि विक्रय पत्र एवं नामान्तरकरण को नियमित वाद द्वारा प्रार्थी ने वर्ष 2003 में चुनौती दी है,उसमें जो निर्णय होगा वह उभय पक्ष को मान्य होगा। इसलिये दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने प्रार्थी की अपील खारिज करने में कोई विधिक भूल नहीं की है। दोनो अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं जिनमें निगरानी के स्तर पर हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिये।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त आराजी का पन्ना अभिलिखित खातेदार था जिसके द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र के जरिये वादग्रस्त आराजी का बेचान किया गया है। पंजीकृत विक्रय पत्र के बाद प्रार्थी द्वारा नियमित वाद दायर किया गया है। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी का यह तर्क रहा है कि आराजी पैतृक होने के कारण प्रार्थी का उसमें 1/3हिस्सा था तथा उसके हिस्से को उसके पिता द्वारा विक्रय कर दिया गया। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत वाद सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है। वाद लम्बित होने मात्र को प्रार्थी को कोई अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता है। जहां तक वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी के हक का प्रश्न है,उसे अभी नियमित वाद में हक को साबित करना है। यदि सक्षम न्यायालय द्वारा उसका कोई हक तय किया जावेगा तो उसके अनुरूप उसकी प्रविष्टि राजस्व रेकार्ड में होगी। जहां तक उपसरपंच व पंचों द्वारा नामान्तरकरण स्वीकृत होने के बाद प्रमाण पत्र देने का प्रश्न है,इसका कोई कानूनी महत्व नहीं है।नामान्तरकरण तस्दीक होने के बाद कुछ पंचों द्वारा इस प्रकार लिखावट देने से दूसरे पक्ष के विरूद्ध कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता है।दोनों

तारीख़ हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एलआर/4485/2045/सीकर नारायण के का.मु.अणचीदेवी व अन्य बनाम विश्वेश्वर व अन्य	नम्बर व तारीख़ अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं जिनमें निगरानी के स्तर पर बिना किसी ठोस अधार के हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(धूकलराम कसवां)** **सदस्य**	